राजस्वप्रार्थनापत्र 35/2020
बंकटलाल, बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी –रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

मु0न0 – 35/2020

प्रार्थी–

1. बंकटलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट
   निवासी–ईग्यार, तहसील–जायल जिला नागौर।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बंकटलाल पुत्र सुखाराम हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा ईगयार के खतौनी सं. 198 खसरा नम्बर 262/920 रकबा 5.05 बीघा में प्रार्थी का नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के डिकी आदेश दिनांक 05.06.2015 में बंकटलाल पुत्र सुखाराम नाम से जारी होने के बावजूद भी राजस्व कार्मिकों की भूल एंव सहवन से बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , जन आधार कार्ड , बैंक पास बुक व आधार कार्ड संख्या 575446713491 मे प्रार्थी का नाम बंकटलाल पुत्र सुखाराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया।जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1

01/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/95 दिनांक 06.01.2021 मय हल्का पटवारी अड़वड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के राजस्व वाद संख्या 92/2015 के डिक्री के नामान्तरकरण में बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज कर दिया गया जबकि डिक्री में बंकटलाल पुत्र सुखाराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड , बैंक पास बुक व आधार कार्ड संख्या 575446713491 मे प्रार्थी का नाम बंकटलाल पुत्र सुखाराम दर्ज हैं।

प्रार्थी अब बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर बंकटलाल पुत्र सुखाराम दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। प्रार्थी का नाम बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर बंकटलाल पुत्र सुखाराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी बरनेल की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के राजस्व वाद संख्या 92/2015 के डिक्री आदेश दिनांक 05.6.2015 व ग्राम ईग्यार के खतौनी सं. 198 खसरा नम्बर 262/920 रकबा 5.05 बीघा की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में ईगयार के खतौनी सं. 198 खसरा नम्बर 262/920 रकबा 5.05 बीघा प्रार्थी का नाम बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज के स्थान पर बंकटलाल पुत्र सुखाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ईगयार के खतौनी सं. 198 खसरा नम्बर 262/920 रकबा 5.05 बीघा संवत् 2077–77 में प्रार्थी का नाम बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज है जिसके स्थान पर बंकटलाल पुत्र सुखाराम शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, बैक पास की प्रति व आधार कार्ड संख्या 575446713491 की फोटो प्रति से प्रार्थी बंकटलाल पुत्र सुखाराम व बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी बंकटलाल पुत्र सुखाराम का ही नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के राजस्व वाद संख्या 92/2015 के डिक्री

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्वप्रार्थनापत्र 35/2020

बंकटलाल, बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

आदेश दिनांक 05.6.2015 के नामान्तरकरण दर्ज करते समय बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज हो गया है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम बंकटलाल पुत्र सुखाराम ही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि बंकटलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट एवं बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम जाति-जाट निवासी-ईग्यार तहसील जायल का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 198 में दर्ज नाम बंकटलाल पुत्र दूर्गाराम के स्थान पर वास्तविक नाम बंकटलाल पुत्र सुखाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ईग्यार तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 198 में दर्ज नाम बंकटलाल पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर बंकटलाल पुत्र सुखाराम जाति-जाट निवासी-ईग्यार तहसील-जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

01/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, जायल